संख्या- 43/2022/635/छप्पन-2022/001-56-1099-2-2021

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2022

विषय: जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-04/आर0सी0एस0-2022-ए-3/2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृत लागत रू0 38.10 करोड़ में से पूर्व में दी गई धनराशि रू0 1.00 करोड़ को कम करते हुए अर्थात् रू0 37.10 करोड़ (रूपए सैंतीस करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा रू0 85.64 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ रू0 2.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-35/2022/ 485/छप्पन-2022-11/2013 टी0सी0-2 दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा रू0 5.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई रू0 85.64 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 7.00 करोड़ (रूपए सात करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि रू0 37.10 करोड़ (रूपए सैंतीस करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रूपए पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रूपए पॉच करोड़ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

5- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-5/दस-2022-23, दिनांक 05 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 43/2022/635(1)/छप्पन-2022/001-56-1099-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/ ऊर्जा अनुभाग-3.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।